"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5041/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 6 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुर स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र 6 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र 19 सन् 1995) को और सशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. 1 (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ जिला योजना समिति (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का सशोधन 2 छत्तीसगढ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र 19 सन् 1995) की सलग्न अनूसूची मे, सरल क्रमाक 1 मे, कॉलम (2) मे, प्रविष्टि (अठ्ठारह) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात् –

(1)	(2)	(3)
	"(उन्नीस) गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही"	

उद्देश्य और कारणों का कथन

वर्तमान मे छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र 19 सन् 1995) की धारा 4 की उप–धारा (1) की अनुसूची मे केवल 27 जिलो के लिये जिला योजना समिति का गठन किया गया है एव सदस्यो की सख्या निर्धारित है। नवीन जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही मे जिला योजना समिति का गठन न होने तथा इनमे सदस्यो की सख्या शामिल न होने के कारण निर्वाचन मे कठिनाई आ रही है।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने की दृष्टि से, छत्तीसगढ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र 19 सन् 1995) मे सशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर
दिनाक 25–3–2020

अमरजीत भगत
योजना, आर्थिक एव साख्यिकी मत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्र. 19 सन् 1995) की धारा 4 की उप धारा (1) की अनुसूची का सुसगत उद्धरण –

अनुसूची

समितियो की सरचना

(धारा 4 (1) देखिये)

4(1) समिति मे भिन्न–भिन्न जिलो मे 10, 15 या 20 सदस्य होगे जैसा कि अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किया जाए,

"(उन्नीस) गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही"

चन्द्र शेखर गगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020